



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/232

दिनांक:- 12/04/2022

## :-कार्यवाही विवरण:-

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक दिनांक 05.04.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

**एजेण्डा संख्या 01 :-**

**विषय :-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2022 की बैठक दिनांक 22.03.2022 जोन दक्षिण के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय :-** समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

**एजेण्डा संख्या 02 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	995/81	1542 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
<b>आवेदक</b>	श्री मूलाराम पुत्र श्री नेनाराम				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 995/81 रकबा 1542 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
<b>निर्णय:-</b>	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"><li>1. आवेदित भूमि के सामने उत्तर व पश्चिम दिशा में मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li><li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li><li>3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।</li><li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li><li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li><li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li></ol>				

**एजेण्डा संख्या 03 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन

05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1010/83, 1005/82	1522 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री नेनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1010/83, 1005/82 रकबा 1522 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1011/83	627 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती हीरादेवी पत्नी श्री शंकरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1011/83 रकबा 627 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय</li> </ol>				

	<p>में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

**एजेण्डा संख्या 05 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1003/82	769 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री नगाराम पत्र श्री शंकरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1003/82 रकबा 769 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 06 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	998/81, 1004/82	1133 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री मूलाराम पुत्र श्री नेनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 998/81, 1004/82 रकबा 1133 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> </ol>				

	<p>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</p> <p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

**एजेण्डा संख्या 07 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1001/82, 1007/83	756 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री अजाराम पुत्र श्री शंकरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1001/82, 1007/83 रकबा 756 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 08 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1008/83	834 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

आवेदक	श्री कालूराम पुत्र श्री शंकरराम, श्री श्यामलाल पुत्र श्री शंकरराम
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1008/83 रकबा 834 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1002/82	890 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री दोलाराम पुत्र श्री शंकरराम, श्रीमती कौशल्या पुत्री श्री शंकरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1002/82 रकबा 890 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय</li> </ol>				

	<p>में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

**एजेण्डा संख्या 10 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	997 / 81	1226 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री कानाराम पुत्र श्री नेनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 997 / 81 रकबा 1226 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने पूर्व व दक्षिण दिशा में मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 11 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	996 / 81	1481 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री कानाराम पुत्र श्री नेनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 996 / 81 रकबा 1481 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> </ol>				

15

2.	मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
3.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 12 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1009/83	773 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री नेनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1009/83 रकबा 773 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 13 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	129/84	1335 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

आवेदक	श्री कानाराम पुत्र श्री छंवरलाल
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/84 रकबा 1335 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	920/140	5261 वर्गमीटर में से 3781.81 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री कानाराम भाटी पुत्र स्व. श्री छंवरलाल भाटी				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 920/140 रकबा 5261 वर्गमीटर में से 3781.81 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> </ol>				



3.	आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4.	आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
5.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 15 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	126/28	04.00.00 बीघा में से 02.17.00 बीघा	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री अमराराम पुत्र श्री शोभाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/28 रकबा 04.00.00 बीघा में से 02.17.00 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट सड़क का प्रावधान किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।</li> <li>4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>5. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के सामने मौके पर सड़क मार्गाधिकार में भवन/चारदिवारी निर्मित है। अतः पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व सामने व दक्षिण-पूर्व दिशा में सड़क मार्गाधिकारों में निर्माण को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत्</li> </ol>				

	<p>शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

**एजेण्डा संख्या 16 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	331	24.02.00 बीघा में से 1225 वर्गमीटर	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्री रूपसिंह पुत्र श्री सादुलसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 331 रकबा 24.02.00 बीघा में से 1225 वर्गमीटर पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मुख्य पाली रोड से सालावास की ओर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 160 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>3. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे।</li> <li>4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 17 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	49/22	5261 वर्गमीटर में से 4856.18 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्वेता पुत्री श्री संजय मेहता, कंचन पत्नी श्री संजय मेहता				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 49/22 रकबा 5261 वर्गमीटर में से 4856.18 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>3. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के सामने मौके पर सडक मार्गाधिकार में भवन/चारदिवारी निर्मित है। अतः पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व सडक मार्गाधिकार में निर्माण को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।</li> <li>4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>
----------	---

**एजेण्डा संख्या 18 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	110, 1035/1025	5524 वर्गमीटर में से 1481.62 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री राकेश पटीर पुत्र श्री सीताराम पटीर				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 110, 1035/1025 रकबा 5524 वर्गमीटर में से 1481.62 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा मौका निरीक्षण दौरान मौके पर आवेदित भूमि के उपर से गुजर रही एच.टी लाईन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट लेते हुए एवम् तदानुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

**एजेण्डा संख्या 19 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	129/3, 129/97, 129/98, 129/99	5711 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	द काफ्टोरियन जरिये भागीदार श्री रामअवतार काबरा पुत्र श्री सीताराम एवं श्री साहिल काबरा पुत्र श्री रामअवतार				

विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/3, 129/97, 129/98, 129/99 रकबा 5711 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट सड़क का अंकन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के सामने मौके पर सड़क मार्गाधिकार में भवन/चारदिवारी निर्मित है। अतः पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व सामने व उत्तर दिशा में सड़क मार्गाधिकारों में निर्माण को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।</li> <li>5. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>

एजेण्डा संख्या 20 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	37	33.02.10 बीघा में से 01.09.03 बीघा	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री प्रकाशमल पुत्र श्री राणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 37 रकबा 33.02.10 बीघा में से 01.09.03 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। साथ ही प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते की चौड़ाई 60 फीट रखी जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> </ol>				

2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	1086/740/2	02.03.00 बीघा	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री जुगलकिशोर गुप्ता, श्री लालचंद पुत्र श्री जुगलकिशोर गुप्ता				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1086/740/2 रकबा 02.03.00 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 22 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	जोधपुर-दक्षिण	1059/740/17	178.07 वर्गमीटर	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री योगेश व्यास पुत्र श्री राजेन्द्र व्यास				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1059/740/17 रकबा 178.07 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 23 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	जोधपुर-दक्षिण	903/747/2	07.15.15 बीघा में से 03-04-5.58 बीघा	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	मैसर्स करुणा डिस्ट्रीब्यूटर प्रा.लि जरिये श्री जिनेन्द्र पुत्र श्री अनिल कुमार नाहर				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 903/747/2 रकबा 07.15.15 बीघा में से 03-04-5.58 बीघा वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.2.8 में उल्लेखित गतिविधियां ही अनुज्ञेय होगी। उक्त की सुनिश्चितता हेतु मास्टर प्लान में उल्लेखित अनुज्ञेय गतिविधियों का अंकन जोन द्वारा पट्टा विलेख/साईट प्लान पर किया जावे।</li> <li>3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> </ol>				

4.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 24 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	पाल	10/17	06.00.00 बीघा	आवासीय (सी.एम. जे.वाई के प्रावधान 3 बी के तहत)
आवेदक	श्री नेनाराम पुत्र श्री हरदानराम, श्री अणदाराम पुत्र श्री हरदानराम, श्रीमती जेठादेवी पत्नी श्री रूपाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 10/17 रकबा 06.00.00 बीघा आवासीय (सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3 बी के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार 30 फीट सड़क मार्गाधिकार रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में दर्शित 40 फीट सड़क को पूर्व दिशा में निरन्तर करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>3. सीएमजेएवाई की गाइडलाईन की पूर्ण पालना की जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 25 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	पाल	8/1, 8/2/1, 8/3	07.00.00 बीघा	आवासीय (सी.एम. जे.वाई के प्रावधान 3 ए के तहत)
आवेदक	मैसर्स अनमोल प्राईम डवलपर्स प्रा.लि जरिये श्री घनश्याम धूत व अन्य				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 8/1, 8/2/1, 8/3 रकबा 07.00.00 बीघा आवासीय (सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3 ए के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण ले-आउट प्लान समिति से संबंधित नही होने के कारण प्रकरण में विचार नही किया गया। आवेदक को वर्तमान प्रमावी मास्टर प्लान/जोनल प्लान अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लिखे जाने बाबत् आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।
----------	--

**एजेण्डा संख्या 28 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	पाल	319	01.00.00 बीघा	आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री तुलसीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 319 रकबा 01.00.00 बीघा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार तथा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना अनुसार 30 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आवेदित भूमि को किसी भी स्थिति में 40 फीट पहुंच मार्ग नही होने के कारण नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार आवेदित भूमि के सामने 30 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में गूगल मानचित्र अनुसार तथा अनुमोदित योजना में भिन्नता के संबंध में जोन द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत कर दिये गये है। उक्त के कम में जोन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 66 से 75 प्रभावित नही हो रहे है, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

**एजेण्डा संख्या 27 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	पाल	153/4, 153/8, 153/5, 153/2	03.12.00 बीघा	आवासीय (सी.एम. जे.वाई के प्रावधान 3 ए के तहत)
आवेदक	श्रीमती अन्नुदेवी पत्नी श्री भोलाराम, श्री चाण्डाराम पुत्र श्री बीराराम				



विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 153/4, 153/8, 153/5, 153/2 रकबा 03.12.00 बीघा आवासीय (सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3 ए के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के सामने मौका व रिकॉर्ड अनुसार तथा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना अनुसार 30 फीट रखते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान की 100 फीट सडक का अंकन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>3. सीएमजेएवाई की गाइडलाईन की पूर्ण पालना की जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>

एजेण्डा संख्या 28 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सालावास	30/2	04.17.00 बीघा में से 01.10.00 बीघा	आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री बस्तीराम पुत्र श्री छोटाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 30/2 रकबा 04.17.00 बीघा में से 01.10.00 बीघा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही उक्त सडक को नगर नियोजन की दृष्टि से आवेदित भूमि के एक कोने से निरन्तर रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 29 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	मोगडा कलां	218/1	18.02.00 बीघा में से 01.10.00 बीघा	आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री कोजाराम पुत्र श्री जगमालराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 218/1 रकबा 18.02.00 बीघा में से 01.10.00 बीघा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 30 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सांगरिया	186/1	02.07.00 बीघा	आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री पीराराम मेघवाल पुत्र अमराराम मेघवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 186/1 रकबा 02.07.00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि विवेक विहार योजना के दक्षिण दिशा में स्थित मास्टर डवलपमेंट प्लान की सांगरिया गांव से बोरानाडा जाने वाली सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में विद्यमान सड़क को योजना में प्रस्तावित 30 फीट सड़क से मिलान किया जावे।</li> <li>3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> </ol>				

8

	5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
	6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 31 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	हीरखेडा	24/5	10.00.00 बीघा	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	मैसर्स यूनिकस फर्निचर प्रा.लि जरिये श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री सुमेरचन्द भण्डारी				
विषय:-	राजस्व ग्राम हीरखेडा के खसरा संख्या 24/5 रकबा 10.00.00 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि सालावास से नारनाडी जाने वाली सडक पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावे।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 32 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	लूणी	852/2	10.00.00 बीघा में से 01.03.01 बीघा	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती भीखीदेवी पत्नी श्री खेताराम मेघवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/19 रकबा 01.14.04 बीघा पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मुख्य लूणी-कांकाणी राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर क्षेत्र) भवन विनियम 2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>4. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे।</li> <li>5. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>
--	--

**एजेण्डा संख्या 33 :-**


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	कुडी भगतासनी	390/274, 390/740/1, 391/271/2, 391/271/3	10.10.02 बीघा	आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री नरसिंह पुत्र श्री बाबुलाल वगैरह				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 390/274, 390/740/1, 391/271/2, 391/271/3 रकबा 10.10.02 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तथा उत्तर दिशा में विवेक विहार योजना की सडक स्थित है जिनका मार्गाधिकार कमशः 200 फीट व 160 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में प्रस्तावित सर्कल से प्रभावित है जिसका अंकन करते हुए संशोधित ले-आउट प्लान जारी किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> </ol>				

3.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 34 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.04.2022	दक्षिण	सांगरिया, कुडी भगतासनी	-	-	आवासीय
आवेदक	प्राधिकरण की विवेक विहार आवासीय योजना				
विषय:-	विवेक विहार योजना सेक्टर-जे में आरक्षित ओ.सी.एफ प्रयोजनार्थ भूमि में अनुज्ञेय गतिविधियों के ENDUSE के निर्धारण बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत सेक्टर-जे में ओ.सी.एफ. तथा विद्यालय व COMMUNITY CENTRE प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के कुछ भाग को सम्मिलित कर राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु आरक्षित करते हुए ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि स्कूल व COMMUNITY CENTRE प्रयोजनार्थ ही आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)


जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2322 - 2326

दिनांक:- 12/04/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक दिनांक 05.04.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री राजेन्द्र सिंह चान्दावत उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।

अध्यक्ष  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य सचिव

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर